राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

–: प्रेस नोट :–

दिनांक :– 20-03-2020

शासन के कार्मिक विभाग के पत्र दिनांक 23.06.2019 के क्रम में EWS को 10 प्रतिशत, MBC को 5 प्रतिशत एवं PH को 4 प्रतिशत आरक्षण प्रक्रियाधीन भर्तियों में प्रदान किये जाने के कारण प्राध्यापक प्रतियोगी परीक्षा–2018 में आयोग के द्वारा शुद्धि पत्र संख्या 12/2019–20 दिनांक 19.09.2019 को जारी कर पुनः आवेदन पत्र दिनांक 23.09.2019 से 12.10.2019 रात्री 12:00 बजे तक आंमत्रित किये गये तथा इस शुद्धि पत्र के तहत् नवीन आवेदकों की आयु गणना का आधार दिनांक 01.07.2020 रखा गया है। उक्त शुद्धि पत्र के तहत् आवेदन करने वाले आवेदकों को राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 23.09.2008 के तहत् जो अभ्यर्थी 01.07.2020 को अधिकायु के होते है, उन्हें अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट देय होगी। इस बाबत् आयोग की वेब–साईट पर शुद्धि पत्र संख्या 24/2019–20 जारी कर दिया गया है, जिसका अवलोकन अभ्यर्थी आयोग की वेब–साईट https://rpsc.rajasthan.gov.in पर कर सकते हैं।

(आशीष गुप्ता)
सचिव